

DETAILS OF PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

For

**1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based
Thermal Power Plant**

At

Villages–Torniya, Chhippipura & Rampuri, Tehsil –Harsud,
Distt. – Khandwa (MP)

APPLICANT



M/s. DWARKESH ENERGY LIMITED

Gulab Bhawan, 3rd Floor, Bahadur Shah, Zafar Marg,

New Delhi

1.0 Public Hearing Consultation

As per the new EIA Notification dated 14th September 2006, Public hearing for this project has been conducted in accordance with the procedure to obtain the Environmental Clearance.

As per the new EIA notification dated 14.09.2006, the first technical presentation i.e. the ToR presentation has been done on 04.04.2011 subsequently, MoEF has prescribed the ToRs vide its File No. J-13012/ 17/ 2011- IA.II (T) & Letter dated 26th July 2011 and after the preparation of Draft EIA in accordance of ToR letter the Public Hearing for this project of “1320 MW (2×660 MW) Super Critical Coal Based Thermal Power Plant at villages Torniya, Chhippipura & Rampuri Tehsil Harsud, District Khandwa, Madhya Pradesh has been conducted on 31st August, 2012 at at ekai sthal village Torniya, Tehsil New Harsud, District Khandwa (MP).

Public hearing advertisements were published in various Newspapers. Copy of the public hearing Advertisement is displayed below:

Public Hearing Advertisement Copy

SPORTS 13

FREE PRESS
www.freepressjournal.in | INDORE | MONDAY | JULY 23, 2012

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम नं. 78-सी, प्लॉट क्रं.-1, पार्ट-2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर
फो.: 2555436, फै.: 4035618, ई-मेल: romppcb_indore@rediffmail.com
क्रमांक 2497/क्षेका/प्रनिबो/2012 इन्दौर, दिनांक 11.07.2012

आम सूचना

मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम-तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा में 2x600 मेगावॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रस्तावित लोक सुनवाई का विवरण निम्नानुसार है-

जिला/तहसील	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
ग्राम- तोरनियों, तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा	इकाई स्थल, ग्राम-तोरनियों, ग्राम पंचायत भवन	31.08.2012	12 बजे सुबह

प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ इस कार्यालय के अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय, खण्डवा, नगर पालिका/जिला परिषद् खण्डवा, कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, खण्डवा, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) में सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं एवं बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्तावित इकाई के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सुझाव, विचार एवं टीका टिप्पणी हो वें इसे क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 78-सी, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर को सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अथवा लोक सुनवाई के दौरान लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम नं. 78-सी, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर

(FREE PRESS, DATED 23.07.2012)

इंदौर, सोमवार 23 जुलाई 2012

नईदुनिया 09

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम नं. 78-सी, प्लॉट क्रं. - 1, पार्ट-2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर

फो.: 2555436, फै.: 4035618, ई-मेल: romppcb_indore@rediffmail.com

क्रमांक 2497/क्षेका/प्रनिबो/2012

इन्दौर, दिनांक 11.07.2012

आम सूचना

मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम-तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा में 2x600 मेगावॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति बाबत पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रस्तावित लोक सुनवाई का विवरण निम्नानुसार है-

जिला/तहसील	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
ग्राम- तोरनियों, तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा	इकाई स्थल, ग्राम-तोरनियों, ग्राम पंचायत भवन.	31.08.2012	12 बजे सुबह

प्रस्तावित परियोजना का पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ इस कार्यालय के अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय, खण्डवा, नगर पालिका/जिला परिषद् खण्डवा, कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, खण्डवा, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) में सर्व संबंधितों के अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं एवं बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्तावित इकाई के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सुझाव, विचार एवं टीका टिप्पणी हो वे इसे क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 78-सी, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर को सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अथवा लोक सुनवाई के दौरान लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम नं. 78-सी, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर

(NAYI DUNIYA, DATED 23.07.2012)

A letter was issued from District Collector to Regional Officer, MPPCB information of PH Venue and Date. The letter is displayed below:

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा (म०प्र०)
दूरभाष क्रमांक 0733.2226666
कमांक / 81 / 2012 / एलए / 10248
प्रति

श्री ए०ए०मिश्रा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
म०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं 78 सी,
प्लॉट पार्ट-2 अरण्य विजयनगर, इन्दौर

विषय: मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड द्वारा ग्राम - तोरनीया, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील हरसूद जिला खण्डवा में 2X600 मेगावॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 2419 / क्ष०का / प्रनिबोक / 12 / इन्दौरदिनांक 4.07.2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड द्वारा ग्राम - तोरनीया, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील हरसूद जिला खण्डवा में 2X600 मेगावॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई किये जाने हेतु श्री आर०आर० भोसले अपर कलेक्टर खण्डवा को अधिकृत किया जाता है ।

2- मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड द्वारा ग्राम - तोरनीया, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील हरसूद जिला खण्डवा में 2X600 मेगावॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई किये जाने वारंते तिथि 31.08.2012 व लोक सुनवाई स्थल ग्राम तोरनीया, ग्राम पंचायत भवन तहसील हरसूद जिला खण्डवा में 12.00 बजे निर्धारित जाती है ।


अतएव आप प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर स्थल पर संबंधित सहित अभिलेख के साथ उपस्थित रहे ।

(कवीन्द्र कियावत)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा (म०प्र०)
खण्डवा, दिनांक 05.07.2012

पृ क्रमांक / 81 / 2012 / एलए 10249
प्रतिलिपि:-

- 1- श्री आर०आर० भोसले अपर कलेक्टर खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त तिथि एवं स्थल पर निर्धारित समय पर लोक सुनवाई की कार्यवाही संपादित किए जाने हेतु प्रेषित
- 2- अनु-विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी हरसूद
- 3- तहसीलदार, हरसूद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । आप दिनांक 31.08.2012 को समय 12.00 बजे ग्राम तोरनीया ग्राम पंचायत भवन में लोक सुनवाई की कार्यवाही हेतु उपस्थित रहे ।
- 4- मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड, गुलाब भवन, तीसरी मंजिल, 6 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(कवीन्द्र कियावत)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा (म०प्र०)



LETTER OF MEMBER SECRETARY TO REGIONAL OFFICER FOR CONDUCTING PUBLIC HEARING

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages-Torniya, Chhippipura & Rampuri, Tehsil –Harsud, Distt. – Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

1.1 PHOTOGRAPHS SHOWING PUBLIC HEARING



Venue Of Public Hearing



Welcome of Chairman



Chairpersons Of Public Hearing



Public Hearing Presentation



Questions From Local Public



Questions From Local Public



Presence Of Local Public



Questions From Local Public



Reply From Project Proponent/Environmental Consultant

1.2 MINUTES OF THE PUBLIC HEARING IN HINDI

क्षेत्रीय कार्यालय
म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं० 78-सी, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर.
फोन नं० 2555436, फैक्स 4035618

क०/क्षेकाइ/प्रनिबो/12 इन्दौर, दिनांक

प्रति,

श्री आर.के.श्रीवास्तव
अधीक्षण यंत्री
म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल, म०प्र०

विषय:- मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम- तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरी तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा, में 2x660 मेगा वॉट क्षमता का सुपर किटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई :-

संदर्भ:- मुख्यालय का पत्र 4320 दिनांक 16.06.2012

उपरोक्त विषय में मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम- तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरी तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा, में 2x660 मेगा वॉट क्षमता का सुपर किटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई दिनांक 31.8.2012 को आयोजित की गई। कार्यवाही विवरणसंलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण

ए.ए. मिश्रा
क्षेत्रीय अधिकारी
इन्दौर

क० 3247...../क्षेका/प्रनिबो/12 इन्दौर, दिनांक 21/09/12

प्रतिलिपि :-

1. अपर कलेक्टर, श्री आर. आर. भौंसले कलेक्टर कार्यालय, जिला खंडवा, कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।
2. प्रबंधक मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड गुलाब भवन, तीसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

ए.ए. मिश्रा
क्षेत्रीय अधिकारी
इन्दौर

कार्यवाही विवरण

पर्यावरण स्वीकृति आवेदन के संबंध में लोक सुनवाई

मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम- तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा, में 2X660 मेगा वॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई :-


लोक सुनवाई स्थल - ग्राम तोरनियों, ग्राम पंचायत भवन

तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा,

दिनांक - 31.8.2012 समय: - प्रातः 12 बजे

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम- तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरी तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा, में 2X660 मेगा वॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई कराने की शर्त रखी गई है। परियोजना के द्वारा म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लोक सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लोक सुनवाई का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। लोक सुनवाई ग्राम तोरनियों, ग्राम पंचायत भवन तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा, दिनांक 31.8.2012 समय: प्रातः 12 बजे निर्धारित समय पर आयोजित की गई।

अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार लोक सुनवाई के संबंध में सूचना का प्रकाशन क्षेत्र के दो समाचार पत्रों क्रमशः नईदुनिया एवं फ्री प्रेस में दिनांक 23 जुलाई 2012 को प्रकाशित कराई गई। (संलग्नक-2, पेज न.6-9) इकाई की पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार सर्वसंबंधितों के अवलोकनार्थ इस कार्यालय के अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय खण्डवा, नगर पालिका/जिला परिषद जिला खण्डवा, कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र खण्डवा, एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय वन पर्यावरण भवन ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल में रखा गया।



2

लोक सुनवाई कलेक्टर कार्यालय, जिला खण्डवा, के पत्र क्रमांक 10284 दिनांक 5.7.2012 के अनुसार अपर कलेक्टर, खण्डवा श्री आर. आर. भौसले जी अध्यक्षता में आयोजित हुई। (संलग्नक-3, पेज न. 10) इस दौरान म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री ए.ए.मिश्रा, इकाई प्रतिनिधि एवं इकाई के पर्यावरण सलाहकार एवं अन्य अधिकारी लोक सुनवाई में उपस्थित रहे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी भी उपस्थित थे। लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थिति पत्रिका (संलग्नक-4, पेज न.11-16) के अनुसार है।

लोक सुनवाई का विवरण निम्नानुसार है :-

सर्वप्रथम म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री ए.ए.मिश्रा द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 तथा लोक सुनवाई की प्रक्रिया बाबत संक्षिप्त जानकारी दी गई एवं बताया गया कि दिनांक 23.7.2012 के समाचार पत्रों में लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन कराया गया। प्रावधान अनुसार प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 30 दिवस के अंदर सर्वसंबंधितों से उक्त संबंध में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी, आपत्ति एवं आक्षेप संबंधी विचार लिखित अथवा मौखिक रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लॉट नं. 1, पार्ट-2, स्कीम नं. 78, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यकारी सारांश, साफ्ट कॉपी सहित सर्वसंबंधितों के अपलोकनार्थ इस कार्यालय के अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय, खण्डवा, नगर निगम/जिला परिषद, खण्डवा, कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र खण्डवा, एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय वन पर्यावरण भवन ई-5 अरेश कालोनी भोपाल में रखा गया। इसे बोर्ड की Website WWW.mppcb.nic.in पर भी देखना उल्लेखित किया। लोक सुनवाई के दौरान सुझाव आपत्तियां व टीका-टिप्पणियों को सामान्यजन द्वारा अंकित किए जाने हेतु प्रपत्र बांटे गए व मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु भी कहा गया।

तत्पश्चात् इकाई के पर्यावरण सलाहकार द्वारा परियोजना के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट के सारांश को इस क्षेत्र की भाषा हिन्दी में पॉवर पाइंट

3

प्रजेन्टेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इकाई के विषय में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार दी गई :-

1. मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम- तोरनियाँ, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील- हर्सूद, जिला- खण्डवा, में 2X660 मेगा वॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाई अक्षांश 21° 59'46.61" उत्तर से 22° 1'0.36" और देशांतर 76° 47'5.66" पूर्व से 75° 52'30" पूर्व पर स्थित है।
2. इकाई लगभग 935 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी।
3. इकाई के चारों तरफ 10 कि.मी. की त्रिज्या में कोई महानगर, संवेदनशील, स्थान, पुरातत्वकालीन स्मारक एवं पर्यटन स्थल नहीं है। 10 किलोमीटर की त्रिज्या में कुछ आरक्षित वन हैं।
4. प्रस्तावित प्लांट के लिए लगभग 4520 घनमीटर/घंटा पानी की आवश्यकता होगी जो कि परियोजना स्थल से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित इन्द्रा सागर बाँध से लिया जावेगा।
5. इकाई स्थापना के दौरान तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों एवं निर्माण मजदूरों की आवश्यकता होगी जिसमें स्थानीय युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किया जाएगा।
6. इकाई में लगभग 6.9 एम.टी.पी.ए. कोयले की आवश्यकता होगी। बायलर के साथ 275 मीटर ऊँचाई की चिमनी एवं ई.एस.पी. लगाया जाना प्रस्तावित है। जिससे वायु उत्सर्जन में पार्टिकुलेट मीटर को 50 मिलीग्राम प्रति घनमीटर तक नियंत्रित किया जा सके। राष्मि छिगनियों पर फ्लू गैस मानिटर्स की व्यवस्था भी की जाएगी।
7. इकाई से लगभग 2.76 एम.टी.पी.ए. राख उत्पन्न होगी इसमें से 20 प्रतिशत बाटम एश एवं शेष 80 प्रतिशत फ्लाय एश होगी। राख के उपयोग के लिए ड्राय एवं वेट एश कलेक्शन सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
8. फ्लाय एश का उपयोग सीमेंट निर्माण हेतु मुख्य रूप से किया जायेगा व शेष का उपयोग ईट निर्माण एवं सड़क निर्माण में किया जावेगा। इस तरह सौ प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित किया जावेगा।
9. परियोजना के चारों ओर 100 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाएगा।



इकाई में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था प्रस्तावित है :-

1. इकाई में बायलर के साथ 275 मीटर ऊँचाई की चिमनी एवं ई.एस.पी. लगाया जाना प्रस्तावित है जिससे वायु उत्सर्जन में पार्टिकुलेट मीटर को 50 मिलीग्राम प्रति घनमीटर तक नियंत्रित किया जा सके। सभी चिमनियों पर फ्लू गैस फ्लो रेट्स और तापमान मापन के साथ-साथ ऑनलाईन फ्लू गैस मॉनिटर्स की व्यवस्था भी की जाएगी।
2. निर्माण के दौरान उत्पन्न धूल कणों के दबाव हेतु पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी एवं हरित पट्टी का विकास किया जाएगा।
3. रोड पर धूल कणों को दबाने हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा।
4. इकाई से निकलने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु जल उपचार संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
5. इकाई की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उपस्थित नागरिकों द्वारा जो सुझाव व टीका-टिप्पणी दी गई है वह मूलतः (संलग्नक-5, पेज न.17-76.) पर दर्शित है।

टीका-टिप्पणी पर परियोजना अधिकारियों द्वारा जो उत्तर व प्रस्ताव दिए गए हैं वह (संलग्नक-6, पेज न.77-78) पर दर्शित हैं।

लोक सुनवाई में पारित अनुशंसा


अपर कलेक्टर, श्री आर. आर. गौसले तथा क्षेत्रीय अधिकारी, ग. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर श्री ए. ए. मिश्रा द्वारा उपस्थित जन-समुदाय को सूचित किया गया कि उनके द्वारा जो भी सुझाव, टीका-टिप्पणी दी गई है, उन्हें मूलतः ग. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के समक्ष भेजे जा रहे हैं।

5

जनसुनवाई में इकाई को पर्यावरण स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुसार देने की अनुसंधान की जाती है।

1. इकाई से निकलने वाली राख का शत-प्रतिशत उपयोग इकाई के उत्पादन प्रारंभ से सुनिश्चित किया जावे एवं इस हेतु ईट निर्माण की इकाई उद्योग स्थल पर स्थापना की जाए।
2. उपचारित दूषित जल का सम्पूर्ण उपयोग सिंचाई हेतु सुनिश्चित किया जाए। इकाई परिसर से किसी भी प्रकार का दूषित जल निरस्रित नहीं किया जाएगा। सनस्त भूमि जल उपचार पश्चात् पुनः प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाए अथवा वृक्षारोपण/सिंचाई में उपयोग में लाया जाए।
3. जिन कृषकों की भूमि प्राप्ति की कार्यवाही की जानी है वह शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार की जाए एवं स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए।
4. इकाई द्वारा प्रस्ताव अनुसार इकाई परिसर के चारों ओर 50 से 100 मीटर के क्षेत्र में चारों तरफ हरित पट्टी का विकास भूमि अधिग्रहण के पश्चात् तत्काल प्रारंभ किया जाए।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर के श्री ए. ए. मिश्रा द्वारा कार्यवाही विवरण बताया गया एवं सूचित किया गया कि लोक सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग एवं छाया चित्र कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। (संलग्नक-9-10, पृष्ठ नं. 86-91). अपर कलेक्टर, श्री आर. आर. भौराले द्वारा उपस्थित जन-समुदाय व परिधोजन प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया एवं श्री ए. ए. मिश्रा द्वारा लोक सुनवाई समाप्त होने की घोषणा की गई।


(ए. ए. मिश्रा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर

ए. ए. मिश्रा
क्षेत्रीय अधिकारी
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
स्कीम नं. 75-सी, पार्ट-11, अरण्य,
विजय नगर, इन्दौर-452 010


(आर. आर. भौराले)
अपर कलेक्टर, इन्दौर

1.3 ATTENDANCE SHEET OF THE PUBLIC HEARING

क्षेत्रीय कार्यालय,
म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं.78-सी, प्लॉट क.-1, पार्ट-2, अरण्य, विजयनगर इन्दौर

मेसर्स द्वारकेश एनर्जी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ग्राम तोरनियों, छिप्पीपुरा एवं रामपुरा तहसील- हरसूद, जिला खण्डवा, में 2X660 मेगा वॉट क्षमता का सुपर क्रिटिकल कोल वेस्ट पावर प्लांट की स्थापना हेतु

लोक सुनवाई स्थल - ग्राम तोरनियों, ग्राम पंचायत भवन
तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा,
दिनांक . 31.8.2012 समय: प्रातः . 12 बजे

उपस्थिति पत्रक

क.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	राजाराज शंकर पंच	रामपुरा	राजाराज शंकर पंच
2	डोम प्रकाश	छिप्पीपुरा	डोम प्रकाश
3	शंकर पटेल सांसद	प्रति निधि-हरसूद	शंकर पटेल
4	जगदीश पाहिल	छिप्पीपुरा	जगदीश
5	विनोद रामदास जी पटेल	छिप्पीपुरा	विनोद
6	कमलेश जी पटेल	छिप्पीपुरा	कमलेश
7	श्रीमती प्रमिता भास्कर	हरसूद	प्रमिता
8			
9	मगवानदास	छिप्पीपुरा	मगवानदास
10	रामजीबंज	छिप्पीपुरा	रामजीबंज
11	सत्यनारायण	छिप्पीपुरा	सत्यनारायण
12	जगदीश	छिप्पीपुरा	जगदीश
13	गोरीशंकर	छिप्पीपुरा	गोरीशंकर
14	शंकराजी विश्वकर्मा	तोर्निया	शंकराजी विश्वकर्मा
15	शंकराजी	छिप्पीपुरा	शंकराजी
16	शंकराजी	Torniya	शंकराजी
17	शंकराजी	Torniya	शंकराजी
18			
19			
20			

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages-Torniya, Chhippura & Rampuri, Tehsil -Harsud, Distt. - Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

Annexure I

Attendance Sheet for CDM Stakeholder Consultation Meeting

Grid connected efficient power plant at Torniya, India

Date: 31/08/2012

Name of the Project Proponent: - Dwarkesh Energy Limited

Meeting Venue: Village - Torniya, Tehsil - Harsud, District - Khandwa, Madhya Pradesh

S.No	Name	Age (Year)	Sex (M/F)	Occupation	Village	Signature/ RTI
	शंकरलाल	40	पुरुष	कृषि	रामपुरी	शंकरलाल
	रामविकास	39	पुरुष	कृषि	रामपुरी	रामविकास
	रत्नलाल	35	पुरुष	सिलान	रामपुरी	रत्नलाल
	रमेश	42	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	रमेश
	गंगा राम	40	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	गंगा राम
	पद्मलाल	43	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	पद्मलाल
	दीपाप्रसाद	40	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	दीपाप्रसाद
	सज्जु कुमार	30	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	सज्जु कुमार
	गुरुजी	35	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	गुरुजी
	निजामुल्लाह	36	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	निजामुल्लाह
	निजामुल्लाह	42	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	निजामुल्लाह
	राधेलाल	42	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	राधेलाल
	शंकरलाल	37	पुरुष	कृषि	रामपुरी	शंकरलाल
	शुक्लाकृष्णलाल	40	पुरुष	कृषि	रामपुरी	शुक्लाकृष्णलाल
	मोहरी	21	पुरुष	कृषि	द्विपीपुरा	मोहरी
	अतीश रान	25	-	-	-	अतीश
	जगदीश रान	-	-	-	-	जगदीश
	जगदीश रान	27	-	-	द्विपीपुरा	जगदीश
	जगदीश रान	28	-	-	-	जगदीश

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages-Torniya, Chhippura & Rampuri, Tehsil -Harsud, Distt. - Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

Annexure I

Attendance Sheet for CDM Stakeholder Consultation Meeting

Grid connected efficient power plant at Torniya, India

Date: 31/08/2012

Name of the Project Proponent: - Dwarakesh Energy Limited

Meeting Venue: Village – Torniya, Tehsil – Harsud, District – Khandwa, Madhya Pradesh

क्र S.No	नाम Name	उम्र Age (Year)	लिंग Sex (M/F)	व्यवसाय Occupation	गांव Village	हस्ताक्षर Signature/ RTI
	मस्तांग	२५	पुरुष	स्वैति	तोरनिया	मस्तांग
	रामेश्वर	२५				रामेश्वर
	रामेश्वर	३१	पुरुष	स्वैती	द्विपीका	रामेश्वर
	रामेश्वर	६०	पुरुष	॥	सरावेनी	रामेश्वर
	धनराज	५०	पुरुष	मकुरी	द्विपीका	धनराज
	रामेश्वर	३०	पुरुष	स्वैती	द्विपीका	रामेश्वर
	रामेश्वर	५०	पुरुष	स्वैती	द्विपीका	रामेश्वर
	सत्यनारायण	४८	पुरुष	कृषी	द्विपीका	सत्यनारायण
	गणेश	३५	पुरुष	कृषी	द्विपीका	गणेश
	Sandeep	१७	पुरुष	कृषी	तोरनिया	Sandeep
	विश्वनाथ	२०	पुरुष	कृषी	तोरनिया	विश्वनाथ
	विश्वनाथ	३५	पुरुष	कृषी	द्विपीका	विश्वनाथ
	Ramkrishna	१८	पुरुष	पट्टी	नरकिया	Ramkrishna
	Ramkrishna	१८	पुरुष	पट्टी	नरकिया	Ramkrishna
	अशोक	५६	पुरुष	आठवा	कशिपूरा	अशोक
	दिनेश	५२	पुरुष	स्वैती	तोरनिया	दिनेश

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages-Torniya, Chhippura & Rampuri, Tehsil -Harsud, Distt. - Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

Annexure I

Attendance Sheet for CDM Stakeholder Consultation Meeting

Grid connected efficient power plant at Torniya, India

Date: 31/08/2012

Name of the Project Proponent: - Dwarkesh Energy Limited

Meeting Venue: Village - Torniya, Tehsil - Harsud, District - Khandwa, Madhya Pradesh

क्र S.No	नाम Name	उम्र Age (Year)	लिंग Sex (M/F)	व्यवसाय Occupation	गाव Village	हस्ताक्षर Signature/ RTI
	विश्वनाथ	६०	म	मजदूर	चिपपुरा	
	पवन	२२			चिपपुरा	
	शिवनारायण	५०		मजदूर	निरागवा	शिवनारायण
	रामकृष्ण	५२		कधी	निरागवा	रामकृष्ण
	विश्वनाथ	५०		मजदूर		
	अशोक	३२		मजदूर	चिपपुरा	
	पंकज					
	विष्णुप्रसाद					
	भागीरथ	६०		मजदूर	चिपपुरा	भागीरथ
	रामप्रसाद	५५	म	मजदूर	चिपपुरा	रामप्रसाद
	अशोक	२८	म	मजदूर	चिपपुरा	अशोक
	रामकृष्ण	१७	म	मजदूर	चिपपुरा	रामकृष्ण
	मिनेश	३०	म	मजदूर	चिपपुरा	मिनेश
	सुब्रह्मण्य	५५	म	मजदूर	चिपपुरा	सुब्रह्मण्य
	केशव	५०	म	मजदूर	चिपपुरा	केशव
	राजेश	२८	म	मजदूर	चिपपुरा	राजेश

1.4 MINUTES OF MEETING OF PUBLIC HEARING- IN ENGLISH

Public Hearing for establishment of Proposed 2×660 MW Super Critical Coal Based Thermal Power Plant at Village Torniya, Chhipura and Rampuri, Tehsil Harsud, district Khandwa, M.P. by M/s. Dwarkesh Energy Limited, New Delhi.

Venue of Public Hearing- Village Panchayat Bhawan, Village Torniya

Tehsil- Harsud, District- Khandwa

Date- 31.08.2012, time- 12.00 AM

As per EIA Notification, Sr. No.1533, Dated on 14.08.2006, Public Hearing is mandatory for establishment of Proposed 2×660 MW Super Critical Coal Based Thermal Power Plant at Village Torniya, Chhipura and Rampuri, Tehsil Harsud, district Khandwa, M.P. by M/s. Dwarkesh Energy Limited, New Delhi. Supportive documents for Public Hearing were submitted to M.P. Pollution Control Board by Project proponent. Based on the documents available, public hearing conduction was scheduled by Pollution Control Board. As scheduled, Public hearing was conducted at Village Panchayat Bhawan, Village Torniya on 31.08.2012 at 12.00 AM.

As per Notification, Advertisements for Public Hearing were issued in two news papers i.e. Nai Duniya and Free Press on 23rd July, 2012. EIA report and Executive Summary were placed in Office of the Additional Collector, Municipal Department/ Jila Parisad, District Khandwa, Office of the District Industrial & Tread Center, Khandwa and Office of the Regional MoEF, Kendriya Van Paryavaran bhawan, E-5, Arera Colony, Bhopal for observation of all concerned persons.

As per Letter No. 10284, dated on 05.07.2012 issued by Collector Office, Khandwa, Public Hearing was conducted with the headship of Mr. R.R. Bhosle, Upper Collector, Khandwa. During the Public Hearing, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Project Proponent, Environmental Consultant Officers and villagers from nearby area were present.

Details of the Public Hearing are as follows:

First of all, as Per EIA Notification, 14th Sep. 2006, brief introduction was given by Mr. N.N. Mishra, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board and mentioned that the advertisement for the Public hearing was published in news papers on 23.07.2012. As per the Notification, minimum 30 days before the public hearing. Suggestions, comments, and

objections were welcomed to the Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Plot no. 1, Part-2, Scheme No. 78, Aranya, Vijay Nagar, in written and oral form in office timing. EIA report and Executive Summary for above project in both soft and hard copy, were placed in Office of the Additional Collector, Municipal Department/ Jila Parisad, District Khandwa, Office of the District Industrial & Tread Center, Khandwa and Office of the Regional MoEF, Kendriya Van Paryavaran bhawan, E-5, Arera Colony, Bhopal for observation of all concerned persons.

After that, brief of the proposed project was explained by Environmental Consultant in Power Point Presentation. Brief information of the proposed project is as follows:

1. A 2×660 MW Super Critical Coal Based Thermal Power Plant is proposed to established at Village Torniya, Chhipura and Rampuri, Tehsil Harsud, district Khandwa, M.P. by M/s. Dwarkesh Energy Limited, New Delhi. Geographical Coordinates of the proposed project site is between Latitude 21° 59' 46.61" N to 22° 1' 0.36"N to 76° 47' 5.66" E to 75° 52' 30" E.
2. Total land requirement of the project is 938 Acre.
3. No any Metropolitan City, Sensitive area, Archeological site and tourist place are falling within 10 km radius area from the proposed project.
4. Total water requirement for proposed project is 4520 m³/ hr. which will be sourced from Indra Sagar Dam which is situated at 10 Km distance from proposed project site on Narmada River.
5. During construction period, technical and non technical persons and labours will be requiring. Preference will be given to the local persons on the basis of their education qualification and illegibility.
6. 6.9 M.T.P.A coal will be required for the proposed project. 275 M stack and ESP will be attached with the Boiler. So that dispersion of the Particulate Matter will be controlled with in the 50 µg/m³. Flue gas monitoring facilities will be provided with all stacks.
7. Total 2.76 M.T.P.A ash will be produced. Out of them, Bottom ash will be 20 Percent and Fly Ash will be 80 Percent. Dry and Wet Ash collection system will be established for use of Ash.
8. Fly ash will be used for cement manufacturing and rest of ash will be used for bricks manufacturing. So that 100 Percent utilization of fly Ash will be insured.
9. 100 m wide green belt will be developed around the project site.

Proposed Water and Air Pollution Management for the Project are as follows:

1. 275 M stack and ESP will be attached with the Boiler. So that dispersion of the Particulate Matter will be controlled with in the 50 µg/m³. Flue gas flow rate and temperature analyzer and online monitoring system will be attached with all stacks.
2. Water sprinkling will be done and green belt will be developed to control the fugitive emission during the construction period.
3. Regular water sprinkling will be done on the road to control the fugitive emission.
4. Water Treatment Plant will be constructed to treat the domestic waste water.
5. Employment will be generated to the local peoples by the proposed project.

Comments and suggestions from the present population is enclosed as (Annexure-5, page no. 17-76).

Replies and proposal of queries for proposed project are given by officers and same is enclosed as (annexure-5, page no. 77-78).

Conclusion of the Public Hearing

With the leadership of the Upper Collector Shri R.R. Bhosle, and Shri A.A. mishra, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board; this is conveyed that all issues, comments & suggestions raised during public hearing process, will be mainly sent by the M.P. Pollution Control Board to the committee formed by the Ministry of Environment and Forest.

Environmental Clearance for the proposed project is requested on the basis of below mentioned conditions:

- 1- 100 percent Ash should be used with the starting of the project. Bricks manufacturing units should be established with in the project area.
- 2- Treated water should be used for irrigation purpose. No any type of effluent should be released into the plant area. All waste water should be recycled and should be used in plantation/ irrigation purposes.
- 3- Preference will be given to the local in employments and the land should be acquired as per prescribed rate by the government.
- 4- As per proposed plan, development of 50-100 m wide green belt around the plant area should be started after the final land acquisition.

Finally, this is addressed by the Mr. A.A. Mishra, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board that video recording and photographs of the Public hearing will be sent attached with Minutes of the Meeting of the Public Hearing. (Annexure 9-10, Page no. 86-91). After that Mr. R.R. Bhosle addressed and thanks to all attended persons and announced the closing of the public Hearing.

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages–Torniya, Chhippura & Rampuri, Tehsil –Harsud, Distt. – Khandwa (Madhya Pradesh)

*Detailed Public Hearing Proceedings***Minutes of the Public Hearing in English, Issues Raised, Replies from the clients and Action plan for CSR Activities**

S. No.	Name	Issues Raised	Response/action plan by PP.	Fund Allocation
Issues Related to Employment				
1.	Shri. Brijesh Kumar Parashar, Chanera, Ward No. 13, Patel Chowk, Harsud, Shri Kachrulal Rampuri, Shri Lalit Kumar Mukati, Village Dodkheda, Harsud, Shri Arun Singh Rathod, Vill. Manjhadhad, Shri Shaitan singh, Vill. Torniya, Shri Moolchand Sukanlal sen, Villa. Barud, Shri Mukesh kumar verma, Chanera, Ward No. 8, Shri chandresh, S/o Shivram, Shri Hukumchand Poonam Chand Rampuri, Shri Rajkumar, Vill. Torniya, Shri Ratan Lal Rampuri, Shri Hari Prasad Rampuri, Shri Bhagwandas, Vill. Dagadkhedi, Shri Ramkrishna, S/o Ramprasad Rampuri, Shri Kamal Singh Rajput, Shri Garib das, S/o. Shri Champa lal, vill. Chippipura, Shri Ram Krishna Patel, Vill. Nisaniya, Shri Pradeep, Vill. Torniya, Shri Umashankar Sharma, Vill. Dangarkhedi, Shri	They stated that they are happy to know that the upcoming project is located in Khandwa district. This project will meet many of our demands like, Employment opportunities, which will improve our standard of living. Locals of the village area wanted the job opportunity from the project.	Well planned CSR has been proposed to enhance the living status of the local villagers. More than 275 persons will get benefit directly or indirectly with job opportunities. The job requirements will be as follows: 1. 10% for Management level. 2. 20 % trained Skilled personnel. 3. 70 % Semi & Non Skilled persons. First preference will be given to the land losers after that locals of the Khandwa District will be preferred for job.	

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages-Torniya, Chhipipura & Rampuri, Tehsil –Harsud, Distt. – Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

	Vishram Yadav, Vill. Torniya, Shri Shankar Lal Rampuri, Shri Shyamlal Devi singh yadav, Tehsil Harsud, Shri Ramraj Kamalsingh, Vill. Chhipipura, Shri Ramsatyanarayan vill. Shahpura, Shri Jagdeesh Fakira, Vill. Chhipipura, Shri Sanjay nibhadas, vill. Chhipipura, Shri Balkrishna patidar, Vill. Chhipipura, Shri Rajesh Bhorke, Shiv Gautam Patrakar, Swadesh Samachar, New Harsud.			
Issues Related to Infrastructure Development				
2.	Shri Ramlal, vill. Torniya, Shri Mangilal, Vill. Torniya, Shri Anil Kumar, Vill. Torniya, Shri Ramchandra, Village Torniya, Shri Guri Dayal, vill. Torniya, Shri Omprakash Vill. Chhipipura, Shri Kailash, s/o. Ramswarup, vill. Chhipipura, Shri Sanjay mordhare, Vill. Chhipipura, Shri Purusottam, Vill. Chhipipura, Shri Mohan Lal, S/o. Shri Ganga Ram, Vill. Chhipipura, Shri Anil Kumar gupta, Vill. Barod, Shri Keval Ram, Vill. Rampuri, Shri Satish, Vill. Kashipura, Shri Vinod, Vill. Kashipura, Shri Gobindra Rajput, Vill. Babangaon, Shri	They stated that they are happy to know that the upcoming project is located in Khandwa district. They welcomed the project. They also requested the project proponent to maintain the village road, construction of water tank, renovation of schools, and construction of Dam in Ghoda Pachad River, provide the medical facilities like hospitals etc.	Well planned CSR has been proposed to enhance the local condition of the area. An amount of Rs. 45 Crore has been identified for various developmental activities in the village area which includes the construction of water tank, renovation of school and hospitals, construction and renovation of village roads etc. The detailed CSR budget is incorporated in Chapter VIII, Section 8.4 of the Final EIA/EMP Report.	An amount of Rs. 1,840 Lacs is allocated for Infrastructure development of the area.

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages–Torniya, Chhippura & Rampuri, Tehsil –Harsud, Distt. – Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

	Nayaranyan Singh Mangrol, Shri Sharda gupta, Vill. Torniya, Shri Golu, Sundarlal, vill. Torniya			
	Issues Related to Land acquisition			
3.	Shri Kailash, Vill. Rampuri, Shri Shankar Lal, Vill. Rampuri, Shri Keshav singh, S/o. Rampal, Vill. Rampuri, Shri Surendra, S/o. Prahlad, vill. Barudhmal, Shri Manoj Yaduvanshi, Shri Subhash Chandra yadav, Vill. Torniya, Shri Amar singh Munshiram, Vill. Torniya, Shri Vishnuprasad, Vill. Nishaniya.	Villagers are scared that why only agriculture land is going to be acquired for industrial purpose. Locals of the area (Village mainly Rampuri, Torniya and Chhippura) also wanted to know the Government Policy for land acquisition. They also wanted to know that the compensation of the land will be equal as per the compensation rates given in Indore city or not?	Most of the land has been purchased directly from farmers with mutual understanding. As per Circle Rate (2011-2012) Rs. 60 Thousand is fixed for Non-Irrigated land and Rs. 90 Thousand is fixed for Irrigated land. Dwarkesh Energy Ltd. Has purchased all required land @ 3-4 lakhs rate which is 3-4 times more than the government rate. In future, company will purchase the land personally with mutual understanding. If required, the land acquisition process will be done under government supervision.	Compensation to the land losers is paid as per the R&R policy of India and MP.
	Issues Related with Pollution Control			
4	Shri Abhishek Agrawal, Village-Khidkiya	He asked about the environmental impacts like increment in atmospheric temperature, dispersion of the dust practical and how much of area will be	A 50 -100 m thick green belt will be developed in and around the project site which will help to minimize the dust load and increase in temperature of the plant area. The detailed green belt development plan is incorporated	An amount of Rs. 450 Crores is earmarked capital cost of EMP. The detailed cost of EMP and its break-up is incorporated in Chapter VI, Section 6.6 of the Final EIA/EMP Report.

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant

At Villages-Torniya, Chhippipura & Rampuri, Tehsil –Harsud, Distt. – Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

		affected, impact on the water level of river due to the project, and the proposal for resettlement after land acquisition.	<p>in Chapter X, Section 10.3.5.1 of the Final EIA/EMP Report.</p> <ul style="list-style-type: none">• 275 m Stack will be provided for proper dispersion of exhaust gases. The details of same are incorporated in Chapter X, Section 10.3.1 of the Final EIA/EMP Report.• ESP will be installed so the dispersion of the Particulate matter will not exceed from 50 mg/m³.• No impact will be caused on the river flow or level due to the project activities. Near Zero discharge will be maintained. Waste water will be treated and re-circulated in the process and reused for water sprinkling and for green belt development. The details of waste water	
--	--	--	---	--

1320 MW (2 X 660 MW) Super Critical Coal based Thermal Power Plant
At Villages-Torniya, Chhippipura & Rampuri, Tehsil -Harsud, Distt. - Khandwa (Madhya Pradesh)

Detailed Public Hearing Proceedings

			<p>management is incorporated in Chapter X, Section 10.3.2.1 of the Final EIA/EMP Report.</p> <ul style="list-style-type: none">• All land acquisition and resettlement will be done as per government policy.	
--	--	--	--	--

Source: Action Plan for issues raised by PP